5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2108

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /पी.बीआर/2017-18/निगरानी- 5428/2018/विदिशा/भू.रा.

रामकुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा निवासी भूमि स्वामी ग्राम चित्रायन तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0 हाल निवासी डी 2 विजय नगर आम खो लश्कर ग्वालियर

---प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

1 राजेश पुत्र श्री नारायण प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम चित्रायन तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म0प्र0

2 म0प्र0शासन

----प्रतिप्रार्थीगण

दिनांक 5-9-18 को श्री के. पी. शर्मा अभि0 द्वारा प्रस्तुत/

5-9-18

पे. दि. 12-9-18

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल

अग्रिम प्रति V.P.

पृष्ठ संख्या 1 से 15

हस्ताक्षर व नाम

<u>निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता विरूद्व आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत व तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 35/अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 28.04.2018 उनमान राजेश बनाम शासन</u>

श्रीमानजी,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः-

1 यहकि निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामितव एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम चिंत्रायन तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा में उक्त भूमि का सर्वे कमांक 27/1 रकवा 7 हे0 है उक्त भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 1/6 नियत है उक्त भूमि को प्रार्थी ने सन् 2000 में संयुक्त रूप से विकय पत्र द्वारा भूमि स्वामी विष्णु बरसैंया से कय किया है एवं कय दिनांक से

XXIX(a)-BR(H)-11

408

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5428/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	